फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

रामनारायण बनाम सुगल उर्फ सुगल्या व अन्य

प्रकरण संख्या : 15 /2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
10.08.2023	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नव जिले जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने पर जारी कर पत्रावली दिनांक 14.09.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	
14/9/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी प्रियवृत सिंह चारण आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थनान्तरण हो गया । प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 17/2015 मय स्थगन प्रार्थना पत्र सख्या 16/2015 ब उनवानी रामनारायण व अन्य बनाम सुगल्या व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री प्रियवृत चारण आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी श्री प्रियवृत सिंह चारण आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	